प्रकाशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

(माननीय न्यायमूर्ति श्री प्रीतिंकर दिवाकर)

रिट याचिका(सेवा) क्र. 4579/2009

याचिकाकर्तागण जितेंद्र कुमार सिंह एवं अन्य

विरुद्ध

उत्तरवादीगण छत्तीसगढ़ राज्य और अन्य

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

रिट याचिका(सेवा) क्र. 4691/2009

याचिकाकर्तागण संजय कुमार पाण्डे

विरुद्ध

उत्तरवादीगण छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग और अन्य

रिट याचिका(सेवा) क्र. 4868/2009

याचिकाकर्ता राजेंद्र कुमार दोहरे

विरुद्ध

उत्तरवादीगण छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग और अन्य

रिट याचिका(सेवा) क्र. 4829/2009

याचिकाकर्ता संजय कुमार श्रीवास्तव

विरुद्ध

उत्तरवादीगण छत्तीसगढ़ राज्य और अन्य

रिट याचिका(सेवा) क्र. 5004/2009

याचिकाकर्ता नरेंद्र धर बड़गैंयाँ

विरुद्ध

उत्तरवादी छत्तीसगढ़ राज्य

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

रिट याचिका(सेवा) क्र.5199/2009

याचिकाकर्ता राजेश कुमार शर्मा

विरुद्ध

उत्तरवादीगण छत्तीसगढ़ राज्य और अन्य

उपस्थिति:

याचिकार्तागण के लिए श्री पी.के. वर्मा, वरिष्ठ अधिवक्ता सहित श्री सुमित वर्मा, अधिवक्ता एवं श्री पी.पी. साहू, श्री राकेश पाण्डे, श्री एस.एन. नंदे, श्री प्रतीक शर्मा और श्री अशोक दुबे, अधिवक्तागण

उत्तरवादी/राज्य के लिए श्री वाय.एस. ठाकुर, उप शासकीय अधिवक्ता

उत्तरवादीगण/लोक सेवा आयोग के लिए श्री वाय.सी. शर्मा, अधिवक्ता

न्यायमित्र के रूप में श्री संजय के. अग्रवाल, अधिवक्ता

<u>भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के अंतर्गत प्रस्तुत रिट याचिकाएं</u>

<u>आदेश</u>

(दिनांक 08.12.2011)

चूंकि उपरोक्त छह याचिकाओं में निहित बिंदु पर्याप्ततः एक जैसे हैं, इसलिए इन्हें इस समान आदेश द्वारा निराकृत किया जाता है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि दिनांक 22.9.2008 को छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग, रायपुर द्वारा विज्ञापन क्रमांक 10/2008 प्रकाशित कर छत्तीसगढ़ राज्य सेवा परीक्षा नियम (आगे सुविधा हेतु "परीक्षा नियम" के रूप में संदर्भित) के नियम 1 के तहत विहित विभिन्न पदों पर नियुक्ति हेतु प्रारंभिक परीक्षा में भाग लेने के लिए आवेदन आमंत्रित किये गये थे। उक्त विज्ञापन के अनुसरण में विभिन्न अभ्यर्थियों ने अपने प्रपत्रों की पूर्ति की, दिनांक 1.2.2009 को आयोजित प्रारंभिक परीक्षा में भाग लिया और उसमें सफल घोषित हुए। हालाँकि, मुख्य परीक्षा के लिए उनकी उम्मीदवारी को उत्तरवादी/लोक सेवा आयोग ने उनकी अधिक उम्र के आधार पर खारिज कर दिया है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

3. **<u>रिट याचिका(सेवा) 5199/2009</u>**: इस याचिका में, याचिकाकर्ता राज्य सिविल सेवा (प्रारंभिक) परीक्षा में उपस्थित हुआ और उसे मुख्य परीक्षा के लिए सफल

घोषित किया गया और इस उद्देश्य के लिए एक आवेदन पत्र भी उसे भेजा गया था। हालाँकि, अनुलग्नक पी-10 के अनुसार, उसे शासकीय कर्मचारी होने के बावजूद अधिक आयु का होने के आधार पर मुख्य परीक्षा के लिए अनर्ह घोषित कर दिया गया था। याचिकाकर्ता के अनुसार, वह राज्य शासन के अधीन आबकारी उप निरीक्षक के रूप में कार्यरत हैं और इसलिए छत्तीसगढ़ राज्य के निवासियों के लिए निर्धारित अधिकतम आयु सीमा 37 वर्ष से 8 वर्ष की छूट का हकदार हैं।

4. **<u>रिट याचिका(सेवा) 4579/2009</u>**: इस याचिका में, याचिकाकर्तागण राज्य सिविल सेवा (प्रारंभिक) परीक्षा में उपस्थित हुए और उन्हें मुख्य परीक्षा के लिए सफल घोषित किया गया और इस उद्देश्य के लिए एक आवेदन पत्र भी उन्हें भेजा गया था। हालाँकि, अनुलग्नक पी-1 के अनुसार, उन्हें शासकीय कर्मचारी होने के बावजूद अधिक आयु का होने के आधार पर मुख्य परीक्षा के लिए अनर्ह घोषित कर दिया गया था। याचिकाकर्ता क्र. 1 सहायक पशु चिकित्सा सर्जन के रूप में कार्यरत है जबकि याचिकाकर्ता क्र. 2 राज्य शासन के अधीन पटवारी के रूप में कार्यरत है और इसलिए वे छत्तीसगढ़ राज्य के निवासियों के लिए निर्धारित 37 वर्ष की अधिकतम आयु सीमा से 8 वर्ष की छूट के हकदार हैं।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

5. **<u>रिट याचिका(सेवा) 4829/2009</u>**: इस याचिका में, याचिकाकर्ता राज्य सिविल सेवा (प्रारंभिक) परीक्षा में उपस्थित हुआ और उसे मुख्य परीक्षा के लिए सफल

घोषित किया गया और इस उद्देश्य के लिए एक आवेदन पत्र भी उसे भेजा गया था। हालाँकि, अनुलग्नक पी-5 के तहत, उन्हें शासकीय कर्मचारी होने के बावजूद अधिक आयु का होने के आधार पर मुख्य परीक्षा के लिए अनर्ह घोषित कर दिया गया था। याचिकाकर्ता के अनुसार, वह राज्य शासन के अधीन व्याख्याता के रूप में कार्यरत हैं और इसलिए छत्तीसगढ़ राज्य के निवासियों के लिए निर्धारित अधिकतम आयु सीमा 37 वर्ष से 8 वर्ष की छूट के हकदार हैं।

6. **<u>रिट याचिका(सेवा) 4868/2009</u>**: इस याचिका में, याचिकाकर्ता राज्य सिविल सेवा (प्रारंभिक) परीक्षा में उपस्थित हुआ और उसे मुख्य परीक्षा के लिए सफल घोषित किया गया और इस उद्देश्य के लिए एक आवेदन पत्र भी उसे भेजा गया था। हालाँकि, अनुलग्नक पी-1 के तहत, उसे शासकीय कर्मचारी होने के बावजूद अधिक आयु का होने के आधार पर मुख्य परीक्षा के लिए अनर्ह घोषित कर दिया गया था। याचिकाकर्ता के अनुसार, वह राज्य शासन के अधीन मुख्य नगरपालिका अधिकारी के रूप में कार्यरत हैं और इसलिए छत्तीसगढ़ राज्य के निवासियों के लिए निर्धारित अधिकतम आयु सीमा 37 वर्ष से 8 वर्ष की छूट के हकदार हैं।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

7. **<u>रिट याचिका(सेवा) 5004/2009</u>**: इस याचिका में, याचिकाकर्ता राज्य सिविल सेवा (प्रारंभिक) परीक्षा में उपस्थित हुआ और उसे मुख्य परीक्षा के लिए सफल घोषित किया गया और इस उद्देश्य के लिए एक आवेदन पत्र भी उसे भेजा गया

था। हालाँकि, अनुलग्नक पी-4 के तहत, उसे शासकीय कर्मचारी होने के बावजूद अधिक आयु का होने के आधार पर मुख्य परीक्षा के लिए अनर्ह घोषित कर दिया गया था। याचिकाकर्ता के अनुसार, वह राज्य शासन के अधीन सहायक शिक्षक के रूप में कार्यरत हैं और इसलिए छत्तीसगढ़ राज्य के निवासियों के लिए निर्धारित अधिकतम आयु सीमा 37 वर्ष से 8 वर्ष की छूट के हकदार हैं।

8. **<u>रिट याचिका(सेवा) 4691/2009</u>**: इस याचिका में, याचिकाकर्ता राज्य सिविल सेवा (प्रारंभिक) परीक्षा में उपस्थित हुआ और उसे मुख्य परीक्षा के लिए सफल घोषित किया गया और इस उद्देश्य के लिए एक आवेदन पत्र भी उसे भेजा गया। हालाँकि, अनुलग्नक पी-8 के अनुसार, उसे 45 वर्ष की आयु पूरी करने के कारण शासकीय कर्मचारी और विकलांग होने के बावजूद अधिक आयु का होने के आधार पर मुख्य परीक्षा के लिए अनर्ह घोषित कर दिया गया था। याचिकाकर्ता के अनुसार, वह सहकारी और विपणन प्रक्रिया संस्था (किसान राइस मिल) कुरुद में प्रबंधक के रूप में कार्यरत, और इसलिए 47 वर्ष की आयु तक की आयु में छूट के हकदार हैं, अन्यथा अधिकतम आयु सीमा 37 वर्ष है जो छत्तीसगढ़ राज्य के निवासियों के लिए निर्धारित की गई है।

WebCopy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

9. रिट याचिका(सेवा) 4691/2009 में याचिकाकर्ता के संबंध में, याचिकाकर्ता के अधिवक्ता द्वारा यह तर्क दिया गया है कि याचिकाकर्ता ने 45 वर्ष की आयु पार

कर ली है, लेकिन विज्ञापन के खंड 2 के अनुसार याचिकाकर्ता ऊपरी आयु सीमा पर 10 वर्ष की आयु की छूट(37 + 10 = 47) का हकदार है।

10. छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग द्वारा जारी विज्ञापन के अनुसार सभी याचिकाकर्ता जो शासकीय कर्मचारी हैं, प्रारंभिक परीक्षा में उपस्थित हुए और उत्तीर्ण हुए। याचिकाकर्ताओं ने मुख्य परीक्षा के लिए प्रपत्र की पूर्ति की थी परंतु आयु अधिक होने के कारण उन्हें अपात्र घोषित कर दिया गया है।

11. याचिकाकर्ताओं की ओर से उपस्थित वरिष्ठ अधिवक्ता श्री पीके वर्मा ने तर्क दिया कि राज्य सेवा परीक्षा नियमों के तहत शुरू में आयु 21 से 30 वर्ष रखी गई थी और शासन को इसे बढ़ाने की शक्ति भी दी गई है। उनका तर्क है कि उक्त शक्ति का प्रयोग करते हुए ऊपरी आयु सीमा को समय-समय पर बढ़ाया गया है और अंततः अनुलग्नक पी-2 अर्थात राज्य सरकार द्वारा दिनांक 16.9.2008 को जारी पत्र के माध्यम से छत्तीसगढ़ राज्य के स्थायी निवासी के लिए आयु सीमा 37 वर्ष तक बढ़ा दी गई है। उनका कहना है कि राज्य सेवा परीक्षा नियम 5 (ग) (ख) (xv) में छत्तीसगढ़ राज्य या राज्य सरकार के उपक्रम के शासकीय कर्मचारियों को आयु में 8 वर्ष की छूट प्रदान की गई है। उन्होंने आगे तर्क व्यक्त किया कि छत्तीसगढ़ राज्य के कर्मचारियों को प्रदान की जाने वाली यह छूट 37 वर्ष की आयु से अधिक होनी चाहिए जो कि छत्तीसगढ़ राज्य के निवासियों के लिए तय की गई

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

है क्योंकि सभी याचिकाकर्ता छत्तीसगढ़ राज्य के निवासी हैं। उनका कहना है कि एक बार राज्य सरकार ने राज्य सेवा परीक्षा नियम बना दिए हैं, तो याचिकाकर्ताओं को उक्त नियम के तहत सम्मिलित किया जाएगा और इसलिए वे 45 वर्ष (37 + 8) की आयु तक आवेदन कर सकते हैं, जो राज्य सेवा परीक्षा नियमों के तहत निर्धारित अधिकतम आयु सीमा है, जैसा कि अनुलग्नक पी-2 के दस्तावेज़ में दिया गया है। उनके अनुसार, याचिकाकर्ताओं को मुख्य परीक्षा के लिए अनर्ह घोषित करने की लोक सेवा आयोग की कार्रवाई विधिविरुद्ध है और इसलिए उन्हें मुख्य परीक्षा में बैठने की अनुमति देने के लिए उत्तरवादी/लोक सेवा आयोग को रिट जारी की जाये। उनका कहना है कि खंड 18 के अनुसार, शिक्षाकर्मियों को परिपत्र के आधार पर अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष स्वीकृत की गई है और इसलिए याचिकाकर्ताओं को भी समान सादृश्य लागू करते हुए समान लाभ दिया जाना चाहिए और इस तरह 45 वर्ष की आयु तक परीक्षा में भाग लेने की अनुमति दी जानी चाहिए। यह तर्क दिया गया है कि जब राज्य शासन के अनुसार केवल वैधानिक नियम ही प्रवृत्त होंगे और पूरी परीक्षा प्रक्रिया को नियंत्रित करेंगे तो राज्य सेवा परीक्षा नियम अप्रभावी हो जाते हैं और यदि उन्हें प्रभावी बनाना है तो इसे समग्र रूप से लागू करना होगा और कोई पसंदीदा चयन पद्धति नहीं अपनाई जा सकती है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

12. राज्य शासन के अधिवक्ता का तर्क है कि प्रकरण में अंतर्विष्ट विषय भिन्न है और याचिकाकर्ताओं का तर्क उनके अभिवचनों और रिट याचिका के दायरे से परे है जो विधि में अनुमेय नहीं है।

13. याचिकाकर्ताओं के तर्कों का जवाब देते हुए, न्याय मित्र श्री संजय के. अग्रवाल ने तर्क दिया कि राज्य सेवा परीक्षा नियम भारत के संविधान के अनुच्छेद 162 की कार्यपालिक शक्ति का प्रयोग करते हुए विरचित किये गए प्रतीत होते हैं और ये नियम केवल कार्यपालिक नियम हैं और चरित्र में गैर वैधानिक हैं। उन्होंने तर्क दिया कि विभिन्न पदों के लिए भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक के तहत वैधानिक नियम सक्षम प्राधिकारी/राज्यपाल द्वारा बनाए गए हैं और उन सभी नियमों में शासकीय सेवकों के लिए अधिकतम आयु 38 वर्ष विहित है। उत्तरवादी/लोक सेवा आयोग के अधिवक्ताने आगे कहा कि विज्ञापन के अंतर्गत आने वाले पद के संबंध में भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक के तहत जो नियम विरचित किये गए हैं, वे वैधानिक और विधायी हैं और इसलिए वही राज्य सेवा परीक्षा नियमों पर लागू होंगे। उन्होने तर्क दिया है कि दोनों नियमों के बीच टकराव को देखते हुए अनुच्छेद 309 के परंतुक के तहत विरचित किये गए नियम प्रभावी रहेंगे। उनका कहना है कि शासकीय कर्मचारियों के लिए अधिकतम आयु सीमा 38 वर्ष तक है और वे अपनी आयु की गणना 37 वर्ष से करके 8 वर्ष के लाभ का दावा नहीं कर सकते हैं।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

14. जहां तक याचिकाकर्ता द्वारा उठाया गया मुद्दा है कि शिक्षाकर्मियों के लिए अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष दी गई है, उत्तरवादी/लोक सेवा आयोग द्वारा यह तर्क दिया गया है कि चूंकि रिट याचिका में ऐसा कोई अभिवचन नहीं है, इसलिए यह तर्क उनके लिए उपलब्ध नहीं है। उनके अनुसार एक नीतिगत निर्णय के तहत शिक्षाकर्मियों को एक अलग वर्ग के रूप में लिया गया है और इसलिए राज्य सरकार को याचिकाकर्ताओं के संबंध में वही नीतिगत निर्णय लेने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

15. रिट याचिका (सेवा) 4691/2009 में राज्य और लोक सेवा आयोग की ओर से तर्क प्रस्तुत किया गया है कि याचिकाकर्ता इन नियमों के विरुद्ध परमादेश रिट की मांग नहीं कर सकता है और यह कि नियमों में अधिकतम आयु 45 वर्ष प्रदान की गई है और किसी भी परिस्थिति में याचिकाकर्ता को मुख्य परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जा सकती है जब वह पहले ही 45 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। उनके अनुसार, छूट का अधिकार के रूप में दावा नहीं किया जा सकता है।

16. पक्षकारों के अधिवक्ताओं के तर्कों को सुना और अभिलेख पर उपलब्ध दस्तावेजों का परिशीलन किया ।

17. इस न्यायालय के समक्ष विचाराधीन प्रश्न यह है कि क्या विज्ञापित पदों के लिए, परिपत्र दिनांक 16.9.2008 के साथ पठित राज्य सेवा परीक्षा नियमों में

प्रदान की गई आयु लागू होगी या क्या भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक के तहत महामहिम राज्यपाल द्वारा बनाए गए सेवा नियमों में प्रदान की गई आयु लागू होगी? यह अब अनिर्णीत विषय नहीं रह गया है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक के तहत प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए राज्यपाल द्वारा विरचित किये गए नियम प्रकृति में वैधानिक और विधायी हैं और समुचित विधान मंडल द्वारा पारित अधिनियम के समान बल रखते हैं, जबकि भारत के संविधान के अनुच्छेद 162 के तहत अपनी सामान्य कार्यपालिक शक्ति में कार्यपालिका द्वारा बनाए गए नियम, प्रकृति में गैर-वैधानिक हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने **एबी कृष्णा और अन्य बनाम कर्नाटक राज्य और अन्य (1998) 3 एससीसी 496** के मामले में निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया है :-

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

> "4. अपीलार्थियों के विद्वत अधिवक्ता द्वारा यह तर्क दिया गया है कि कर्नाटक सिविल सेवा (सामान्य भर्ती) नियम, 1971 को संविधान के अनुच्छेद 309 के अधीन सरकार द्वारा बनाए गए नियमों द्वारा 1977 में संशोधित किया गया था और इसलिए, मैसूर अग्निशमन बल (संवर्ग भर्ती) नियम, 1971 को कम से कम इस हद तक अधिक्रमित किया गया समझा जाएगा कि वे पदोन्नति से पहले एक परीक्षा उत्तीर्ण करने का प्रावधान करते हैं जो सामान्य नियमों के तहत, केवल वरिष्ठता के आधार पर किया जाना है और इसलिए, वरिष्ठता के आधार पर की गई अपीलार्थियों की पदोन्नति को अपास्त नहीं किया जा सकता था। वैकल्पिक रूप में यह तर्क दिया गया है कि अधिनियम की धारा 39 के अधीन बनाए गए नियम सरकार द्वारा बनाए गए हैं न कि विधायिका द्वारा और इसलिए यदि संविधान के अनुच्छेद 309 के अधीन सरकार द्वारा

कोई नियम बनाया जाता है तो यह सकारात्मक रूप से उसी अधिनियम की धारा 39 के अधीन बनाए गए नियम अर्थात् सरकार का स्थान लेगा और इसलिए उन नियमों को अप्रत्यक्ष रूप से अधिक्रमित माना जाएगा।

5. जहां तक संघ या किसी राज्य के अधीन सेवाओं का संबंध है, नियम बनाने की शक्ति, संविधान के अनुच्छेद 309 के अधीन, यथास्थिति, राष्ट्रपति या राज्यपाल में निहित है जो निम्नानुसार उपबंध करता हैः

"309. संघ या राज्य की सेवा करने वाले व्यक्तियों की भर्ती और सेवा की शर्तें -इस संविधान के उपबंधों के अधीन रहते हुए, समुचित विधान-मंडल के अधिनियम संघ या किसी राज्य के कार्यकलाप से संबंधित लोक सेवाओं और पदों के लिए भर्ती का और नियुक्त व्यक्तियों की सेवा की शर्तों का विनियमन कर सकेंगे:

परंतु जब तक इस अनुच्छेद के अधीन समुचित विधान-मंडल के अधिनियम द्वारा या उसके अधीन इस निमित्त उपबंध नहीं किया जाता है तब तक, यथास्थिति, संघ के कार्यकलाप से संबंधित सेवाओं और पदों की दशा में राष्ट्रपति या ऐसा व्यक्ति जिसे वह निदिष्ट करे और राज्य के कार्यकलाप से संबंधित सेवाओं और पदों की दशा में राज्य का राज्यपाल या ऐसा व्यक्ति जिसे वह निदिष्ट करे, ऐसी सेवाओं और पदों के लिए भर्ती का और नियुक्त व्यक्तियों की सेवा की शर्तों का विनियमन करने वाले नियम बनाने के लिए सक्षम होगा और इस प्रकार बनाए गए नियम किसी ऐसे अधिनियम के उपबंधों के अधीन रहते हुए प्रभावी होंगे।

6. यह मुख्य रूप से विधायिका, अर्थात् संसद या राज्य विधान सभा है, जिसमें संघ या राज्य के मामलों के संबंध में लोक सेवाओं और पदों पर नियुक्त व्यक्तियों की भर्ती और सेवा की शर्तों को विनियमित करने वाली कानून बनाने की शक्ति निहित है। इस अनुच्छेद में इंगित विधायी क्षेत्र वही है जो सातवीं अनुसूची की सूची I की प्रविष्टि 71 या उस अनुसूची की सूची II की प्रविष्टि 41 में

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

इंगित किया गया है। हालाँकि, परंतुक राष्ट्रपति या राज्यपाल को सेवा नियम बनाने की शक्ति देता है, परंतु यह केवल एक संक्रमणकालीन प्रावधान है क्योंकि परंतुक के तहत शक्ति का प्रयोग केवल तब तक किया जा सकता है जब तक कि विधायिका एक अधिनियम नहीं बनाती है जिसके द्वारा लोक पदों पर भर्ती के साथ-साथ उस पद से संबंधित सेवा की अन्य शर्तें भी निर्धारित की जाती हैं।

7. अनुच्छेद 309 के परंतुक के तहत नियम बनाने का कार्य एक विधायी कार्य है। चूंकि अनुच्छेद 309 को संविधान के अन्य प्रावधानों के अधीन कार्य करना है, इसलिए यह स्पष्ट है कि चाहे वह संसद या राज्य विधानमंडल द्वारा बनाया गया अधिनियम हो जो सेवा की शर्तों को निर्धारित करता है या यह उक्त अनुच्छेद के परन्तुक के तहत राष्ट्रपति या राज्यपाल द्वारा बनाया गया नियम है, इसे संविधान के अन्य प्रावधानों विशेष रूप से अनुच्छेद 14, 16, 310 और 311 के अनुरूप होना चाहिए।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

8. राज्य सरकार के तहत अग्निशमन सेवाओं को राज्य विधानमंडल द्वारा विरचित गए अग्निशमन बल अधिनियम, 1964 के तहत बनाया और स्थापित किया गया था। अधिनियम की धारा 39 के तहत प्रदत्त शक्ति का उपयोग करते हुए राज्य सरकार ने अग्निशमन सेवाओं की शर्तों को विनियमित करने के लिए सेवा नियम बनाए। चूंकि अग्निशमन सेवाओं की स्थापना विधायिका के एक अधिनियम के तहत विशेष रूप से की गई थी और सरकार ने उस अधिनियम के तहत उसे प्रदत्त शक्ति के अनुसरण में पहले ही सेवा नियम बना लिए हैं, इसलिए कर्नाटक सिविल सेवा (सामान्य भर्ती) नियम, 1977 में कोई भी संशोधन अग्निशमन सेवाओं के लिए विधिमान्य रूप से बनाए गए विशेष प्रावधानों को प्रभावित नहीं करेगा। वास्तव में, संविधान के अनुच्छेद 309 की योजना के तहत, एक बार जब कोई विधायिका सेवा की शर्तों को विनियमित करने वाली विधि बनाने के लिए हस्तक्षेप करती है, तो राष्ट्रपति या राज्यपाल सहित कार्यपालिका की शक्ति, जैसा भी मामला हो,

"स्थान भरे जाने का सिद्धांत" के सिद्धांत पर पूरी तरह से विस्थापित हो जाती है। तथापि, यदि उस अधिनियम द्वारा किसी मामले को नहीं छुआ जाता है, तो कार्यपालिका कार्यपालिक निर्देश जारी करने या उस मामले के संबंध में अनुच्छेद 309 के अधीन नियम बनाने के लिए सक्षम होगी।

9. इसमें कोई संदेह नहीं है कि संविधान के अनुच्छेद 309 और अधिनियम की धारा 39 के अधीन नियम बनाने के प्राधिकारी एक ही है, अर्थात् सरकार (सटीक रूप से, अनुच्छेद 309 के अधीन राज्यपाल और धारा 39 के अधीन सरकार), लेकिन दोनों प्राधिकारी भिन्न हैं। जैसा कि ऊपर देखा गया है, अनुच्छेद 309 के तहत शक्ति का प्रयोग राज्यपाल द्वारा नहीं किया जा सकता है, यदि विधायिका ने पहले ही एक कानून बना लिया है और स्थान की पूर्ति कर दी है। उस स्थिति में, नियम विधायिका द्वारा बनाए गए कानून के तहत बनाए जा सकते हैं, न कि अनुच्छेद 309 के तहत। यह भी ध्यान दिया जाना चाहिए कि एक अधिनियम के तहत दी गई नियम बनाने की शक्ति का प्रयोग करते हुए बनाए गए नियम प्रत्यायोजित या अधीनस्थ विधान का गठन करते हैं, लेकिन अनुच्छेद 309 के तहत नियमों को उस श्रेणी में नहीं माना जा सकता है और इसलिए, "स्थान भरे जाने का सिद्धांत" के आधार पर अनुच्छेद 309 के तहत नियम विधायिका द्वारा बनाए गए नियमों का स्थान नहीं ले सकते हैं।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

18. यह सुस्थापित है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के प्रावधान के तहत बनाए गए नियमों और भारत के संविधान के अनुच्छेद 162 के तहत बनाए गए नियमों के बीच संघर्ष की स्थिति में, भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के प्रावधान के तहत बनाए गए नियम प्रबल होंगे। **भारत संघ और अन्य बनाम**

सोमसुंदरम विश्वनाथ और अन्य (1989) 1 एस. सी. सी. 175 के मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा इसे निम्नलिखित रूप में अभिनिर्धारित किया गया हैः

> "6. यह सुस्थापित किया गया है कि सिविल सेवाओं से संबंधित अधिकारियों की भर्ती और पदोन्नति के संबंध में मानदंड या तो समुचित विधानमंडल द्वारा बनाए गए कानून द्वारा या भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक के तहत बनाए गए नियमों द्वारा या भारत के संविधान के अनुच्छेद 73 के तहत भारत के संघ के तहत सिविल सेवाओं के मामले में और राज्य सरकारों के तहत सिविल सेवाओं के मामले में भारत के संविधान के अनुच्छेद 162 के तहत जारी किए गए कार्यपालिक निर्देशों के माध्यम से निर्धारित किए जा सकते हैं। यदि भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक के तहत बनाए गए कार्यपालिक निर्देशों और नियमों के बीच टकराव होता है, तो भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक के तहत बनाए गए नियम प्रबल होंगे, और यदि भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक के तहत बनाए गए नियमों और उपयुक्त विधायिका द्वारा बनाए गए कानून के बीच टकराव होता है, तो उपयुक्त विधायिका द्वारा बनाया गया कानून प्रबल होता है। विचार के लिए प्रश्न यह है कि क्या वर्तमान मामले में नियमों और ऊपर निर्दिष्ट 30 दिसंबर, 1976 के कार्यालय ज्ञापन के बीच कोई टकराव है। हम पहले ही देख चुके हैं कि विभिन्न विभागों में सेवाओं में भर्ती करने के लिए भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के प्रावधान के तहत अलग-अलग नियम बनाए गए हैं और निम्न संवर्ग से उच्च संवर्ग में अधिकारियों की पदोन्नति के संबंध में अनुशंसा करने के उद्देश्य से विभागीय पदोन्नति समितियों के गठन के लिए उनमें प्रावधान किए गए हैं। लेकिन ये नियम कुछ हद तक शरीर में ढांचा मात्र हैं। विभागीय पदोन्नति समितियों द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया और उनके विभिन्न कार्यों और विभागीय पदोन्नति समितियों के कोरम के संबंध में उनमें से किसी में भी कोई प्रावधान नहीं किया गया है,

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

जैसा कि व्यवहार की बात है, भारत सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए कार्यालय ज्ञापन के रूप में 30 दिसंबर, 1976 से पहले निर्धारित किया गया था और 30 दिसंबर, 1976 को एक समेकित कार्यालय ज्ञापन जारी किया गया था जिसमें ऐसे विवरणों के संबंध में निर्देश थे जो भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों की सभी विभागीय पदोन्नति समितियों पर लागू थे। उक्त कार्यालय ज्ञापन कई विषयों से संबंधित है, जैसे, विभागीय पदोन्नति समितियों के कार्य, जिस पर विभागीय पदोन्नति समितियों की बैठक होनी चाहिए, विभागीय पदोन्नति समितियों द्वारा विचार के लिए रखे जाने वाले मामले, विभागीय पदोन्नति समितियों द्वारा मानी जाने वाली प्रक्रिया, निलंबन के तहत एक अधिकारी के मामले में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया, जिसका आचरण जांच के तहत है या जिसके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही शुरू की गई है या शुरू होने वाली है, विभागीय पदोन्नति समितियों की कार्यवाही की विधिमान्यता जब कोई सदस्य अनुपस्थित है, संघ लोक सेवा आयोग के साथ परामर्श की आवश्यकता, जब नियुक्ति प्राधिकरण विभागीय पदोन्नति समिति की अनुशंसाओं से सहमत नहीं होता है तो अपनाई जाने वाली प्रक्रिया, विभागीय पदोन्नति समितियों के अनुशंसाओं के कार्यान्वयन के साथ, तदर्थ पदोन्नति, पैनलों की वैधता की अवधि आदि। इसलिए, दिनांक 30 दिसंबर, 1976 का कार्यालय ज्ञापन उस पर विचारित विषयों के संबंध में एक पूर्ण संहिता की प्रकृति का है, जब तक कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक के तहत बनाए गए नियमों में कुछ भी नहीं है, जो कार्यालय ज्ञापन में निहित निर्देशों के प्रतिकूल है, कार्यालय ज्ञापन जो स्पष्ट रूप से भारत के संविधान के अनुच्छेद 73 के तहत जारी किया गया है, सभी संबंधितों के लिए वैध और बाध्यकारी माना जाने का हकदार है। वर्तमान मामले में नियमों में इनमें से कोई भी विवरण नहीं है सिवाय इसके कि विभागीय पदोन्नति समिति का गठन करने वाले सभी व्यक्ति कौन हैं। इसलिए, हम नियमों और कार्यालय ज्ञापन के बीच कोई प्रतिकूलता नहीं पाते हैं। इन परिस्थितियों में हम महसूस करते हैं कि उत्तरवादी

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

क्र.1 द्वारा दिनांक 13 मई, 1988 (पेपर बुक के पृष्ठ 132) के अपने अतिरिक्त शपथपत्र में किये गए अभिवाक कि कार्यालय ज्ञापन अप्रभावी है, को बरकरार नहीं रखा जा सकता है । हम केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण के इस निर्णय से सहमत नहीं हैं कि वर्तमान प्रकरण में 7 अगस्त, 1986 को विभागीय पदोन्नति समिति की कार्यवाहियां केवल इसी कारण दोषपूर्ण हो गई हैं कि इसका एक सदस्य, सचिव, रक्षा मंत्रालय, उपस्थित नहीं था। हमारा मानना है कि 7 अगस्त, 1986 को हुई अपनी बैठक में विभागीय पदोन्नति समिति की कार्यवाही उपरोक्त कारण से अमान्य नहीं है।

19. **पालुरू रामकृष्णैया और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य (1989) 2 एस. सी. सी. 541** के मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया गया है:

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

"10. पक्षकारों के लिए विद्वान अधिवक्ता को सुनने के बाद हम उत्तरवादियों के लिए विद्वान अधिवक्ता द्वारा दिए तर्कों को सारपूर्ण पाते हैं। बी. एन. नागराजन बनाम मैसूर राज्य और संत राम शर्मा बनाम राजस्थान राज्य में पहले के दो निर्णयों के आधार पर यह निर्णय इस न्यायालय की एक संविधान पीठ द्वारा रामचंद्र शंकर देवधर बनाम महाराष्ट्र राज्य में दिया गया था कि विधायी नियमों के अभाव में यह राज्य सरकार के लिए संविधान के अनुच्छेद 162 के तहत अपनी कार्यपालिक शक्ति के प्रयोग में निर्णय लेने के लिए सक्षम था। इस मामले पर भारत संघ बनाम सोमसुंदरम विश्वनाथ के मामले में इस न्यायालय द्वारा वर्तमान में दिए गये एक हालिया निर्णय में विचार किया गया है, जिसमें यह अभिनिर्धारित किया गया है: (एससीसी पृष्ठ 180, कंडिका 6)

यह सुस्थापित किया गया है कि सिविल सेवाओं से संबंधित अधिकारियों की भर्ती और पदोन्नति के संबंध में मानदंड या तो उपयुक्त विधानमंडल द्वारा बनाए गए विधि द्वारा या भारत के

संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक के तहत बनाए गए नियमों द्वारा या भारत के संविधान के अनुच्छेद 73 के तहत भारत के संघ के तहत सिविल सेवाओं के मामले में और राज्य सरकारों के तहत सिविल सेवाओं के मामले में भारत के संविधान के अनुच्छेद 162 के तहत जारी किए गए कार्यपालिक निर्देशों के माध्यम से निर्धारित किए जा सकते हैं। यदि भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक के तहत बनाए गए कार्यपालिक निर्देशों और नियमों के बीच कोई टकराव है, तो भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक के तहत बनाए गए नियम प्रबल होते हैं, और यदि भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक के तहत बनाए गए नियमों और उपयुक्त विधायिका द्वारा बनाए गए कानून के बीच टकराव होता है, तो उपयुक्त विधायिका द्वारा बनाया गया कानून प्रबल होता है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

20. मुझे न्यायमित्र और लोक सेवा आयोग की ओर से उपस्थित अधिवक्ता के तर्क में पर्याप्त बल मिलता है कि प्रशासनिक निर्देश को वैधानिक नियमों के पूरक के रूप में तभी पढ़ा जा सकता है जब किसी विशेष मामले पर नियमों में विद्यमान अंतर या भिन्नता हो, अन्यथा नहीं और वे वैधानिक नियमों को अधिक्रमित नहीं कर सकते हैं या उन पर अधिरोपित नहीं हो सकते हैं। **जिला पंजीयक, पालघाट और अन्य वी. एम. बी. कोयाकुट्टी और अन्य (1979) 2 एस. सी. सी. 150** के मामले में उच्चतम न्यायालय ने निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया हैः

"22. इस प्रतिपादन पर कोई विवाद नहीं हो सकता है कि यदि राज्यपाल द्वारा बनाए गए वैधानिक नियम या अनुच्छेद 309 के तहत राज्य विधानमंडल द्वारा अधिनियमित कोई कानून किसी

विशेष बिंदु पर मौन है, तो सरकार पहले से बनाए गए या अधिनियमित वैधानिक प्रावधानों के साथ असंगत न होने वाले प्रशासनिक निर्देश जारी करके उस अंतर को भर सकती है और नियम को पूरा कर सकती है। कार्यपालिक निर्देशों को वैध होने के लिए वैधानिक प्रावधानों के अधीन होना चाहिए। वर्तमान प्रकरण में, हालांकि, यह नहीं कहा जा सकता था कि निम्न श्रेणी लिपिक के संवर्ग से उच्च श्रेणी लिपिक के संवर्ग में पदोन्नति के मामले में वैधानिक प्रावधानों में अंतर या शून्य था।

26. यह देखा जाएगा कि त्रिलोकी नाथ का प्रकरण , कम से कम तीन महत्वपूर्ण पहलुओं में, हमारे समक्ष प्रस्तुत प्रकरण से भिन्न है। सबसे पहले, उस मामले में, विचाराधीन वैधानिक नियम ने भर्ती के स्रोत के संबंध में कोई भेदभाव नहीं किया था; इसमें केवल यह प्रावधान किया गया था कि केवल स्नातक ही कार्यपालन अभियंताओं के उच्च संवर्ग में जाएंगे, भले ही उन्हें सीधे सहायक अभियंता के रूप में नियुक्त किया गया हो या पदोन्नति द्वारा। वर्तमान मामले में, आक्षेपित अधिसूचना पदोन्नति के लिए एक अर्हता परीक्षा निर्धारित करती है, सभी के लिए नहीं, अपितु केवल एक श्रेणी के व्यक्तियों के लिए, वह भी उस रीति के संदर्भ में जिस रीति से उन्होंने शुरू में सेवा में प्रवेश किया था। दूसरा, त्रिलोकी नाथ के प्रकरण में कार्यपालन अभियंता के पद के कर्तव्य उच्च जिम्मेदारी और पर्यवेक्षी स्वरुप के होते थे, जिसके लिए उच्च मानसिक क्षमता और प्रशासनिक कौशल की आवश्यकता होती थी। इस प्रकार, वहाँ, वर्गीकरण प्राप्त किए जाने वाले उद्देश्य (अर्थात्, प्रशासनिक दक्षता) के साथ एक सीधा संबंध रखने वाले बोधगम्य अंतर पर आधारित था। वर्तमान मामले में, यह दिखाने के लिए अभिलेख पर कोई भी साक्ष्य नहीं है कि उच्च श्रेणी लिपिकों द्वारा किए गए कर्तव्य निम्न श्रेणी लिपिकों के कर्तव्यों से पर्याप्ततः भिन्न हैं। तीसरा, वर्तमान मामले में वैधानिक नियम आक्षेपित शासकीय आदेश द्वारा किए गए वर्गीकरण की गारंटी नहीं देता है। नियम 28 (ख) (ii) द्वारा निर्धारित उच्च श्रेणी में पदोन्नति के

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

लिए प्राथमिक मानदंड वरिष्ठता है यदि संबंधित व्यक्ति अन्यथा अनुपयुक्त नहीं है। आक्षेपित शासकीय आदेश उस वैधानिक नियम पर आक्षेप करता है क्योंकि यह निर्धारित करता है कि भले ही कोई निम्न श्रेणी लिपिक, जिसने न्यूनतम शिक्षा योग्यता रखने से छूट के परिणामस्वरूप सेवा में प्रवेश किया हो, इस नियम द्वारा विहित वरिष्ठता सह योग्यता के मानदंड को पूरा करता है, उसे पदोन्नति के लिए तब तक अर्ह नहीं माना जाएगा जब तक कि वह परीक्षा में अर्हता प्राप्त नहीं करता है।

30. विचार के लिए अंतिम बिंदु यह है कि क्या उच्च न्यायालय के लिए ऐसा करना उचित था कि वह एक सकारात्मक निर्देश जारी करे जिसमें अपीलार्थी को उत्तरवादी को उच्च श्रेणी में पदोन्नत करने और उसके बाद उच्च श्रेणी लिपिकों के संवर्ग में उसका पद अवधारित करने की आवश्यकता हो। सामान्यतः, न्यायालय इस तरह के सकारात्मक निबंधनों में कोई निर्देश जारी नहीं करता है, परंतु इस मामले की विशिष्ट विशेषता यह है कि यह विवाद किया गया है कि कोयाकुट्टी उत्तरवादी वैधानिक नियम 28 (ख) (ii) में निर्धारित पदोन्नति के लिए दोहरे मानदंड को पूरा करता है। वास्तव में, जिला पंजीयक, पालघाट, जिसे रिट याचिका में उत्तरवादी क्र.3 के रूप में पक्षकार बनाया गया था, ने उच्च न्यायालय के समक्ष दायर अपने जवाबी-शपथपत्र की कंडिका 8 में स्पष्ट रूप से स्वीकार किया कि "सेवा की वरिष्ठता निम्न श्रेणी लिपिकों के रैंक से उच्च श्रेणी लिपिकों के रैंक में पदोन्नति का आधार है बशर्ते कि वे इस उद्देश्य के लिए विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करके पूरी तरह से अर्ह हों जाये"। रजिस्ट्रार के मामले में ऐसा कभी नहीं था कि कोयाकुट्टी अन्यथा पदोन्नति के लिए उपयुक्त नहीं था। वास्तव में, विशेष अनुमति याचिका में शामिल इस न्यायालय में अपील के आधार पर भी, यह आरोप नहीं लगाया गया है कि कोयाकुट्टी ने नियम 28 (ख) (ii) द्वारा विहित वरिष्ठता-सह-योग्यता के मानदंड को पूरा नहीं किया। अपीलार्थी द्वारा लिया गया रुख, पूरे समय, यह था कि इस नियम को आक्षेपित शासकीय अधिसूचना द्वारा "पूरक" माना

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

जाना चाहिए। यह सही नहीं है कि आक्षेपित अधिसूचना केवल "पूरक" है या वैधानिक नियमों में अंतर को भरती है। यह वैधानिक नियमों पर एक कार्यपालिक आदेश द्वारा अति-जोड़ या अति-अधिरोपण की प्रवृत्ति रखता है जो उसी के साथ कुछ असंगत है। चूंकि कोयाकुट्टी के मामले में वैधानिक नियम 28 (ख) (ii) द्वारा निर्धारित उच्च श्रेणी में पदोन्नति के लिए वरिष्ठता और योग्यता दोनों मानदंडों के अस्तित्व पर विवाद नहीं किया गया था, इसलिए उच्च न्यायालय निर्देश जारी करने में न्यायानुमत था।"

21. इसके अलावा **एस. एल. सचदेव और एक अन्य बनाम भारत संघ और अन्य (1980) 4 एस. सी. सी. 562** के मामले में, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया गया हैः

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

"13. इस विचार के अलावा, हम यह समझने में असमर्थ हैं कि महानिदेशक संविधान के अनुच्छेद 309 के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति द्वारा बनाए गए 1969 के भर्ती नियमों के साथ असंगत कोई निर्देश कैसे जारी कर सकता है। उन नियमों में उस प्रकार के वर्गीकरण का प्रावधान नहीं है जो महानिदेशक द्वारा नए संगठन के संबंधित मंडलों के प्रमुखों को लिखे अपने पत्रों द्वारा किया गया है। कोई भी निर्देश जो इससे परे जाता है और नियमों पर एक नया मानदंड अधिरोपित करता है, अधिकार क्षेत्र के अभाव में दोषपूर्ण होगा। कोई भी ऐसा निर्देश जारी नहीं कर सकता है जो सार और प्रभाव में, अनुच्छेद 309 के तहत राष्ट्रपति द्वारा बनाए गए नियमों के संशोधन के बराबर हो। यह प्राथमिक अनिवार्यता है। हम विद्वान महान्यायवादी के इस कथन को स्वीकार करने में असमर्थ हैं कि महानिदेशक के निर्देश का उद्देश्य भर्ती नियमों को आगे और बेहतर ढंग से लागू करना है। स्पष्ट रूप से, यह यह निर्धारित करने के लिए एक और परीक्षा निर्धारित करके नियमों में संशोधन पुरःस्थापित करता है कि क्या

लेखा परीक्षा कार्यालयों से लिए गए उच्च श्रेणी लिपिक चयन श्रेणी/मुख्य लिपिक संवर्ग में पदोन्नति के लिए पात्र हैं।

22. इसके अतिरिक्त **ए. के. भटनागर और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य (1991) 1 एस. सी. सी. 544** के मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा निम्नलिखित अभिनिर्धारित किया गया हैः

> "13. एक से अधिक अवसरों पर इस न्यायालय ने केंद्र और राज्य सरकारों को निर्देशित किया है कि एक बार जब वे नियम बना लेते हैं, तो नियमों के अंतर्गत आने वाले मामलों के संबंध में उनकी कार्रवाई उन्हीं नियमों द्वारा विनियमित की जानी चाहिए। संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक के तहत प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में बनाए गए नियम बाध्यकारी प्रभाव वाले महत्वपूर्ण नियम हैं। नियमों के विपरीत तरीके से कार्य करने से समस्या और विस्थापन पैदा होता है। प्रायः, सरकार स्वयं अपनी गलतियों या नियमों में जो प्रावधान किया गया ,है उससे बाहर जाने के कारण फंस जाती है। हम इन खामियों को गंभीरता से लेते हैं तथा उम्मीद और विश्वास करते हैं कि केंद्र और राज्यों दोनों की सरकार इस स्थिति पर ध्यान देगी और ऐसी रीति से काम करने से बचेगी जो उनके अपने नियमों में अनुध्यात नहीं किया गया है। वाद-व्यय के संबंध में कोई आदेश नहीं होगा।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

23. इस प्रकरण में, विभिन्न पदों के लिए विज्ञापन जारी किया गया था और उन सभी पदों के लिए वैधानिक नियम भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक के तहत विरचित किये गए हैं, जिसके अनुसार शासकीय कर्मचारियों के लिए विहित अधिकतम आयु सीमा 38 वर्ष तक है। इस प्रकार किसी भी परिस्थिति में, किसी शासकीय कर्मचारी को भी 38 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद परीक्षा में

भाग लेने की अनुमति नहीं दी जा सकती है और इस तरह याचिकाकर्ता 37 वर्ष की आयु से अधिक 8 वर्ष की छूट के हकदार नहीं हैं जैसा कि उनके द्वारा दावा किया गया है।

24. जहां तक याचिकाकर्ताओं के इस तर्क का संबंध है कि शिक्षा कर्मियों को 45 वर्ष की आयु तक परीक्षा में भाग लेने की अनुमति दी गई है, क्योंकि रिट याचिकाओं में ऐसा कोई विशिष्ट अभिवचन नहीं है, इस न्यायालय को इस स्तर पर इस प्रश्न का उत्तर देने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि याचिकाकर्ताओं द्वारा इसके संबंध में कोई अभिवचन किए बिना इसे संपार्श्विक चुनौती नहीं दी जा सकती है। हालाँकि, याचिकाकर्ताओं को, यदि वे चाहें तो, उचित स्तर पर इस बिंदु को उठाने की स्वतंत्रता होगी।

WebCopy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

25. उपरोक्त चर्चा को ध्यान में रखते हुए, इस न्यायालय के सुविचारित अभिमत में याचिकाकर्ताओं के पास कोई ठोस प्रकरण नहीं है और तदनुसार उपरोक्त याचिकाओं को खारिज किया जाता है।

26. निर्णय समाप्त करने से पहले, यह न्यायालय न्यायमित्र श्री संजय के. अग्रवाल द्वारा प्रदान की गई बहुमूल्य सहायता की सराहना करता है।

सही/-

(प्रीतिंकर दिवाकर)

न्यायाधीश

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयीन एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**

Translated by Ratna Sahu, Advocate.

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur